[2008] 13 एस.सी.आर. 529

सी. कृष्णन एवं अन्य

बनाम

किस्तम्मल एवं अन्य

2008 की दीवानी अपील सं. 5642

15 सितंबर, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत तथा डॉ. मुकुन्दकम शर्मा, न्यायमूर्तिगण]

हिन्दू विधि :

उत्तराधिकार — परिवार में विभाजन — संपत्ति में हिस्सा — उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्री एवं निर्णयों को अपास्त कर वाद अनुसूची संपत्तियों के मद सं. 1 से 9 के संबंध में वाद खारिज किया जाना — उसकी शुद्धता — अभिनिर्धारित : उत्तरदाताओं ने अपनी द्वितीय अपील केवल वाद संपत्ति के मद सं. 1 से 9 तक सीमित रखते हुए दायर की थी — तथापि वाद संपत्ति के मद सं. 10 के संबंध में उच्च न्यायालय ने एक ओर विचारण न्यायालय की डिक्री की पुष्टि की तथा दूसरी ओर अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्री एवं निर्णयों को अपास्त कर दिया — अतः उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट नहीं है — इसलिए उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में संशोधन किया जाता है तथा वाद संपत्ति के मद सं. 10 के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री पुनर्स्थापित की जाती है।

इस अपील में विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि क्या उच्च न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उसके समक्ष दायर द्वितीय अपील में अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्री एवं निर्णयों को अपास्त करने में सही था, जबकि अपील केवल वाद संपत्ति के मद सं. 1 से 9 के संबंध में दायर की गई थी तथा मद सं. 10 के संबंध में नहीं।

अपील का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित : 1.1 उत्तरदाताओं ने द्वितीय अपील दायर की थी जिसमें दावा किया गया अनुतोष केवल वादपत्र की संपत्ति के मद सं. 1 से 9 तक सीमित था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। (कंडिका 5) [532-जी]

1.2 मद सं. 10 के संबंध में उत्तरदाताओं ने कोई अपील दायर नहीं की थी और उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान की गई डिक्री की पुष्टि करनी चाहिए थी। मद सं. 10 के संबंध में लिया गया रुख अत्यंत निष्पक्ष है। किन्तु यह रुख कि उच्च न्यायालय ने मद सं. 10 के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त डिक्री की पुष्टि की है, उतना स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। यह कहा गया है कि जहाँ तक वाद संपत्ति के मद सं. 10 का संबंध है, वाद को घोषणा तथा व्यादेश के लिए याचित अनुसार डिक्रीबद्ध किया गया। ऐसा अवलोकन करते हुए, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का अन्य भाग, जिसमें यह कहा गया कि अपील स्वीकृत की जाती है तथा वाद संपत्तियों के मद सं. 1 से 9 के संबंध में प्रदान की गई घोषणा एवं व्यादेश के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्री एवं निर्णय अपास्त किए जाते हैं, स्पष्ट नहीं है। अतः निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री पुनर्स्थापित की जाए। उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में उक्त सीमा तक संशोधन किया जाता है। (कंडिका 5) [532-एच; 533-ए-बी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2008 की दीवानी अपील सं. 5642

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा एस.ए. सं. 249/1995 में दिनांक 6.9.2006 को पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश से।

वी. प्रभाकर, रामजी प्रसाद तथा रेवती राघवन, अपीलकर्ताओं की ओर से।

जी. उमापति तथा राकेश के. शर्मा, उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया। 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में चुनौती मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा द्वितीय अपील का निस्तारण करते हुए पारित निर्णय दी गई है। अपील में एकमात्र शिकायत यह है कि जहाँ तक वाद में वादी-अपीलकर्ताओं को प्रदान किए गए आंशिक अनुतोष का संबंध है, उस संबंध में कोई अपील न होने पर भी उच्च न्यायालय अपील में विचारण न्यायालय की डिक्री को अपास्त नहीं कर सकता था।

3. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर संकेत किया :

> "उपर्युक्त चर्चा के आलोक में यह अभिनिर्धारित किया जाना है कि परिवार में विभाजन हुआ था तथा मुनुसामी रेड्डी और रामू रेड्डी अपनी मृत्यु के समय अन्य सहदायिकों से पृथक हो गए थे और इसलिए विभाजन के अंतर्गत उन्हें प्राप्त हिस्से निश्चित रूप से उत्तराधिकार द्वारा उनके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होंगे, न कि जीवित भाइयों को उत्तरजीविता द्वारा। मृत प्रथम वादी ने उपर्युक्त सभी तथ्यों को छिपाकर तथा न्यायालय को गुमराह कर डिक्री प्राप्त की, जो अपास्त किए जाने योग्य है।
>
> इस मामले में, प्रदर्श ए.6 मुनुसामी की मृत्यु की सही तिथि को दर्शाता है या नहीं, इसका विशेष महत्व नहीं है, मेरे उपर्युक्त निष्कर्षों को देखते हुए। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पक्षकारों के मौखिक साक्ष्य को स्वीकार करते हुए तथा विधि के अधीन उपधारणा ग्रहण करते हुए यह माना है कि प्रदर्श ए.6 सही है तथा इससे मुनुसामी रेड्डी की मृत्यु की तिथि 25.11.1935 सिद्ध होती है। यह मान भी लिया जाए कि यह सही है, तब भी केवल उसी आधार पर मृत प्रथम वादी को वाद संपत्तियों पर कोई पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जिसे अन्य

वादियों अर्थात् वर्तमान उत्तरदाताओं द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त किया जा सके। अतः प्रदर्श ए.6 की वैधता अथवा शुद्धता का परीक्षण करना आवश्यक नहीं है। इन कारणों से, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय वाद को डिक्रीबद्ध करने में न्यायोचित नहीं था, जबकि मृत प्रथम वादी चेंगप्पा रेड्डी केवल चार भाइयों में से एक था, मानो उसने दो भाइयों अर्थात् मुनुसामी रेड्डी तथा रामू रेड्डी के हिस्सों को भी प्राप्त कर लिया हो, अन्य लोगों को बाहर रखते हुए तथा स्थापित सहदायिक विभाजन की उपेक्षा करते हुए। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना है कि जैसा कि सारवान विधि प्रश्न सं. 2 में सही रूप से उठाया गया है, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि किया था, जिसे इस अपील को स्वीकृत कर तथा इन दोनों सारवान विधि प्रश्नों का तदनुसार उत्तर देकर सुधारा जाना आवश्यक है।

परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकृत की जाती है तथा वाद संपत्तियों के मद सं. 1 से 9 के संबंध में प्रदान की गई घोषणा तथा व्यादेश के संबंध में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्री एवं निर्णय अपास्त किए जाते हैं। इस प्रकार, जिला मुंसिफ, पोन्नेरी की फाइल पर लंबित ओ.एस. सं. 593/1981 को वाद संपत्तियों के मद सं. 1 से 9 के संबंध में खारिज किया जाता है। जहाँ तक वाद संपत्तियों के मद सं. 10 का संबंध है, वाद को याचित अनुसार घोषणा तथा व्यादेश के अनुतोष प्रदान करते हुए डिक्रीबद्ध किया जाता है।"

4. उत्तरदाताओं द्वारा दायर प्रति-शपथपत्र में निम्नलिखित कहा गया है :

"उक्त निर्णय से व्यथित होकर, प्रत्युत्तरदाता ने 1995 की द्वितीय अपील सं. 249 दायर की, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों को केवल वादपत्र के मद सं. 1 से 9 के संबंध में चुनौती दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने विधि प्रश्न निर्धारित करने के पश्चात् सही निष्कर्ष निकाला

कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय परिवार में हुए विभाजन की उपेक्षा कर त्रुटि में पड़ गया था। उच्च न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि विभाजन के अंतर्गत प्राप्त हिस्से उत्तराधिकार द्वारा उनके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होंगे, न कि जीवित भाइयों को उत्तरजीविता द्वारा। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रत्युत्तरदाताओं द्वारा दायर अपील को स्वीकृत करते हुए वादपत्र की मद सं. 1 से 9 तक की संपत्तियों के संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय की डिक्री को अपास्त कर दिया। तदनुसार उच्च न्यायालय ने मद सं. 1 से 9 के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त डिक्री की पुष्टि की तथा वादपत्र अनुसूची संपत्तियों के मद सं. 10 के संबंध में भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पुष्टि की।"

5. यह स्वीकार किया गया है कि उत्तरदाताओं ने द्वितीय अपील दायर की थी जिसमें दावा किया गया अनुतोष केवल वादपत्र की संपत्ति के मद सं. 1 से 9 तक सीमित था, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकृत कर लिया। मद सं. 10 के संबंध में उत्तरदाताओं ने कोई अपील दायर नहीं की थी और उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त डिक्री की पुष्टि करनी चाहिए थी। मद सं. 10 के संबंध में लिया गया रुख अत्यंत निष्पक्ष है। किन्तु यह रुख कि उच्च न्यायालय ने मद सं. 10 के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त डिक्री की पुष्टि की है, पर्याप्त रूप से स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। यह कहा गया है कि जहाँ तक वाद संपत्ति के मद सं. 10 का संबंध है, वाद को याचित अनुसार घोषणा तथा व्यादेश का अनुतोष प्रदान करते हुए डिक्रीबद्ध किया गया। ऐसा अवलोकन करते हुए, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का अन्य भाग, जिसमें कहा गया है कि अपील स्वीकृत की गई तथा वाद संपत्तियों के मद सं. 1 से 9 के संबंध में प्रदान की गई घोषणा एवं व्यादेश के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों की डिक्री एवं निर्णय अपास्त किए गए, स्पष्ट नहीं है। अतः निर्देश दिया जाता है कि

विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री पुनर्स्थापित की जाए। उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में उपर्युक्त सीमा तक संशोधन किया जाता है।

6. अपील का निस्तारण बिना किसी व्ययादेश के किया जाता है।

एस.के.एस. अपील का निस्तारण किया गया।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।